–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

दिनांक : 05.04.2020

लम्बित प्रकरणों का निराकरण कर मार्च माह में 154 पेंशन भुगतान आदेश जारी
सीएमपीएफ के सहयोग से एसईसीएल में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निपटारे पर जोर

कम्पनी से सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरणों, विधवा पेंशन आदि के त्वरित निपटारे हेतु सीएमपीएफ के साथ मिलकर एसईसीएल में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। गत मार्च महिने में इस प्रकार के लम्बित प्रकरणों का निपटारा कर सीएमपीएफ कार्यालय बिलासपुर द्वारा 154 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए।

पिछले 10 माह की अवधि (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक) में विधवा पेंशन (907 प्रकरण), भविष्य निधि प्रकरण (2098), पेंशन प्रकरण (170) आदि मिलाकर 3 हजार से अधिक प्रकरण निराकृत किए गए।

उपरोक्त के अतिरिक्त पेंशनरों की सुविधा के लिए कम्पनी के गेवरा क्षेत्र में गत अगस्त माह में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें एरिया के 13 प्रकरणों का निराकरण किया गया वहीं इसी वर्ष जनवरी माह में कम्पनी के जमुना–कोतमा क्षेत्र में पेंशन अदालत लगायी गयी जिसमें कुल 20 प्रकरणों में समुचित फैसला लिया गया।

उपरोक्त आयोजनों में श्री आर.के. सिन्हा सहायक आयुक्त सीएमपीएफ बिलासपुर, श्रीमती सुजाता रानी उप महाप्रबंधक (पीएफ/पेंशन) मुख्यालय बिलासपुर श्री आर.एस. राव मुख्य प्रबंधक (पीएफ/पेंशन) मुख्यालय बिलासपुर व उनकी टीम ने प्रमुखता से हिस्सा लिया।

जनसंपर्क अधिकारी
एसईसीएल बिलासपुर